

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 11.10.2020

दो अवैध असलहों व दो कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना पट्टी) –

जनपद के थाना पट्टी से उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान थानाक्षेत्र पट्टी के ग्राम समोगरा से दो व्यक्तियों 01. प्रमोद उर्फ बबलू तिवारी पुत्र लालजी तिवारी निवासी उसरौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ 02. राजेश सिंह उर्फ इंजीनियर पुत्र स्व0 लाल साहब निवासी समोगरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त प्रमोद उर्फ बबलू तिवारी के पास से 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर तथा अभियुक्त राजेश उर्फ इंजीनियर के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में उपर्युक्त अभियुक्तों के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 284/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम व 285/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. प्रमोद उर्फ बबलू तिवारी पुत्र लालजी तिवारी निवासी उसरौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
02. राजेश सिंह उर्फ इंजीनियर पुत्र स्व0 लाल साहब निवासी समोगरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी -

- 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर
- 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

पुलिस टीम:- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

- जनपद के थाना पट्टी से उ0नि0 पंकज सिंह मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 283/20 धारा 34, 120बी, 354क, 366, 511, 352, 506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों 01. रामसिंह पुत्र लालता सिंह निवासी सरैया थाना सिकरारा जनपद जौनपुर 02. कुलदीप सिंह पुत्र अरुण सिंह निवासी चंदौकी निवासी मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर को थानाक्षेत्र पट्टी के उड़ैया डीह बाजार से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक – 11.10.2020